XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक Ro 639-I/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-7-18	मैने प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 122/अ-6/वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10-10-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मोजा छतरपुर स्थित भूमि खसरा नं. 707/1 /क /1 रकवा 0.150 भूमि निगरानी कर्ता द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 26.5.2008 के माध्यम से अनावेदक कमांक 03, 04, 05 से कय की थी जिसका नामांतरण दिनांक 04.07.2008 को किया जा चुका है । उपरोक्त नामांतरण आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के विरूद्ध अवधि वाह्य रूप से की गई जो उनके प्रकरण कमांक 87/अपील/08-09 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2011 को स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त अपीली आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 10.10.2013 को अस्वीकार की गई है । आवेदक द्वारा इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2. आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। तहसीलदार छतरपुर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण आदेश संशोधित पंजी कमांक 556 में दिनांक 4.7.2008 को किया जा चुका है । जिसके विरूद्ध अपील अवधि वधित होने के पश्चात भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार कर विधिक त्रुटि की गई	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है । अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा उनके समक्ष उठाये गये बिन्दुओं का ध्यान नहीं दिया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपनी संलग्न डी–सूची में जो कय किये जाने वाले रकवे का लेख किया है । वह अभिलेख में निम्न है । जो निम्ना है – (1) सरल कमांक 05 पर नरेन्द्र सिंह बल्द बलवंत सिंह रकवा 0.016 आरे लेख है जबकि रिकार्ड खसरा वर्ष 2008–2009 में 0.015 आरे दर्ज है । (2) सरल कमांक 07 पर ललता प्रसाद चौरसिया रकवा 0.016 आरे लेख है जबकि रिकार्ड खसरा वर्ष 08–09 में 0.014 आरे दर्ज है । (3) सरल कमांक 09 पर मंगल प्रसाद तनय दुलारे रकवा 0.016 आरे लेख है जबकि रिकार्ड में 0.015 आरे दर्ज है । (4) सरल कमांक 12 पर तारा देवी पत्नी देवी प्रसाद गुप्ता रकवा 0.026 आरे लेख है जबकि रिकार्ड में 0.012 आरे दर्ज है । (5) सरल कमांक 17 पर सुन्नू तनय लल्लू रकवा 0.015 आरे लेख है. जबकि रिकार्ड में 0.012 आरे दर्ज है । प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि पैत्रिक संपत्ति है उभय पक्ष के बीच आपसी बटवारा हो चुका है जब प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 707 का बटवारा हुआ उस समय उक्त भूमि का कुल रकवा 1.295 हे. था । जिसमें वृन्दावन हरनारायण का रकवा 0.659 हे. व मूलचंद, ओमप्रकाश, ब्रजमोहन, ब्रजगोपाल वगैरह को रकवा 0.636 हे. प्राप्त हुआ था एवं वृन्दावन व हरनारायण को अधिक रकवा दिया गया था व रास्ते के लिए छोड़ा गया था जिसका उल्लेख विकय पत्र में किया जाना पाया जाता है । अतएव उनके द्वारा अधिक रकवे का विकय नहीं किया गया है । जिससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा बिना अभिलेख का अवलोकन किये आदेश पारित किया गया है । जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त सागर द्वारा भी विचार किये बिना पारित किया जाना पाया जाता है । उपरोक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है । तथा अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.629-I/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 10.10.2013 एवं अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.3.2011 निरस्त किये जाते है। तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.7.2008 स्थित रखा जाता है । तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । सदस्य	

[कृ. प. उ.

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

निगरानी 629-I-15

कल्लन खान तनय फैयाज खान
निवासी वार्ड न022 उपभोक्ता भंडार
के समीप, छतरपुर जिला छतरपुर ....निगरानीकर्ता

विरूद्व

1. जगन्नाथ प्रसाद तनय खेमराज यादव
निवासी राठ तह. राठ जिला हमीरपुर
द्वारा मु0आम – अजयकुमार तनय रघुवीर
शरणलाल निगम निवासी न्यू कालोनी छतरपुर
दीनदयाल तनय कडोरेलाल नायक
निवासी मउरानीपुर जिला झांसी
द्वारा मु0आम – श्रीमति पुष्पा पत्नि रघुवीर शरण निगम
निवासी न्यू कालोनी, छतरपुर
3. मूलचंद्र
4. ओमप्रकाश
5. बृजमोहन
6. बृजगोपाल
सभी पुत्रगण स्व. गोरेलाल कडा
निवासीगण महोबा रोड, छतरपुर
7. अरूणा पुत्री हरीशरण लाल निगम
निवासी चौबे कालोनी, छतरपुर
8. म.प्र.शासन ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित अपीलार्थीगण न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/10/13 से दुखित होकर निम्न